बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक–...............................

सख्या :– **5 नि॰गो॰वि॰ (2) 08/2025–**............................... श्री भारतेन्दु जयसवाल, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कैमूर के विरूद्ध मुख्य रूप से यह आरोप गठित है कि कैमूर जिला अन्तर्गत मोहनियाँ प्रखंड में अवस्थित जलकर भोखरी ताल एवं तिवारी डिहरिया की बंदोबस्ती श्री अनिल कुमार सिंह एवं श्री रमेश चौधरी के साथ सीमित डाक के माध्यम से दिनांक 13.09.2024 को किया गया। तदोपरांत दिनांक 18.09.2024 को परवाना निर्गत किया गया, परंतु दिनांक 18.09.2024 को निर्गत परवाना बंदोबस्तदार को कुल 68 दिन पश्चात विलम्ब से दिनांक 25.11.2024 को हस्तगत कराया गया है। विलंब से परवाना हस्तगत कराये जाने के कारण बंदोबस्तदार द्वारा मत्स्य पालन में उत्पन्न हुई बाधा और नुकसान के भरपाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या 1830/2025 दायर किया गया। इस प्रकार श्री जयसवाल के द्वारा कर्त्तव्य के प्रति बरती गयी लापरवाही के कारण मामला न्यायालय के अधीन हुआ एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई।

उक्त आरोप के लिए श्री जयसवाल के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 397 नि॰गो॰, दिनांक 18.09.2025 द्वारा उनसे बचाव–बयान की मांग की गयी। उक्त आलोक में श्री जयसवाल के द्वारा पत्रांक 3425, दिनांक 15.10.2025 से बचाव–बयान समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि प्रश्नगत बंदोबस्ती में सीमित डाक दिनांक 13.09.2024 को किया गया। दिनांक 18.09.2024 को परवाना निर्गत किया गया तथा दिनांक 18.09.2024 को ही परवाना साधारण डाक से बंदोबस्तदार को भेजा गया, परंतु साधारण डाक की वापस होने की सूचना कार्यालय को नहीं है। उनका कहना है कि दिनांक 19.09.2024 एवं 21.09.2024 को विशेष दूत के माध्यम से बंदोबस्तदार को परवाना हस्तगत करवाने की कोशिश की गयी। विशेष दूत द्वारा बतलाया कि मुलाकात नहीं होने के कारण परवाना प्राप्त नहीं करवाया जा सका। साथ ही उनका कहना है कि लगातार कोशिश के बाद भी बंदोबस्तदार के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके प्रतिनिधि द्वारा 68 दिन बाद परवाना प्राप्त किया गया, जो यह साबित करता है कि अनुचित लाभ के लिए खुद बंदोबस्तदार ने देर से परवाना प्राप्त किया है।

श्री जयसवाल से प्राप्त बचाव–बयान की समीक्षा विभाग के द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री भारतेन्दु जयसवाल, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कैमूर के द्वारा दिनांक 13.09.2024 को अनिल कुमार सिंह को भोखरी तालाब वर्ष 2024–25 के लिए ₹ 2,100/–(दो हजार एक सौ रूपये) मात्र तथा रमेश चौधरी को तिवारी डिहरिया ₹ 2,300/–(दो हजार तीन सौ रूपये) मात्र में बंदोबस्त किया गया था तथा दिनांक 18.09.2024 को परवाना निर्गत किया गया। उक्त परवाना डाक और विशेष दूत के माध्यम से भेजने पर बंदोबस्तदार को हस्तगत नहीं हो सका, जिन्होंने दिनांक 25.11.2024 को कार्यालय से परवाना प्राप्त किया। इस प्रकार विलंब दो महीने से अधिक का है, परंतु वास्तविक विलंब पांच माह का है, क्योंकि बंदोबस्ती दिनांक 01.07.2024 से 30.06.2025 की अवधि के लिए की गयी थी। यदि डाक से बंदोबस्ती दिनांक 13.09.2024 को की गयी तो बंदोबस्ती दिनांक 01.07.2024 से 30.06.2025 की अवधि के लिए किस प्रकार की गयी यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर का आधा महीना अर्थात वर्षा का मौसम पूर्णतः व्यतीत हो चुका था। इससे मत्स्यपालक को वित्तीय हानि होगी, यह तो स्वतः स्पष्ट है।

साथ ही समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि निबंधित डाक से परवाना भेजने का प्रावधान नहीं होने तथा विशेष दूत द्वारा प्रेषित परवाना बंदोबस्तदार से भेंट न होने के कारण वापस लेना पड़ा, जिससे स्पष्ट है कि परवाना प्रेषण सफल न होने के बावजूद कार्यालय द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। श्री जयसवाल के पदीय निर्वहन में अनुश्रवण की व्यवस्था का अभाव, निरीक्षण की व्यवस्था का अभाव एवं उत्तरदायित्व (Accountability) का अभाव परिलक्षित होता है।

उक्त आलोक में समीक्षोपरांत श्री जयसवाल के बचाव–बयान को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत आरोप वर्ष 2024–25 के लिए श्री जयसवाल को निंदन की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री भारतेन्दु जयसवाल, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कैमूर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत आरोप वर्ष 2024–25 के लिए निंदन की शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– **5 नि०गो०वि० (2) 08/2025–** ..../ पटना–15, दिनांक–..............................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– **5 नि०गो०वि० (2) 08/2025–** ..../ पटना–15, दिनांक–....................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – **5 नि०गो०वि० (2) 08/2025–** 95 नि०गो० / पटना–15, दिनांक–26/02/26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य/उप मत्स्य निदेशक, पटना परिक्षेत्र, पटना/श्री भारतेन्दु जयसवाल, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कैमूर/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं 2/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.26

सरकार के संयुक्त सचिव।